सकारात्मक ड्यूराचारी ने जो कर्मचारी के साथ नामांकन के संबंध की स्पष्ट और निहित कर्मियों के साथ काफी आरक्षित थी। कदाचार क्या है, यह हमेशा हर मामले की ढलान और केवल इस तथ्य पर सहमति है कि। कर्मचारी ने 100 स्प्रिंग डॉयरेक्टर्स को पैक के लिए प्रेसेशन के लिए प्रेस किया था। करने के बजाय 108 स्प्रिंग स्ट्रेंथ को पैक किया गया जिससे कंपनी को रु. 2, 254.

(11)श्री शर्मा, सम्मिलित कर्मचारी प्रस्तुत करते हैं, कंपनी द्वारा उनके मामले का बचाव करने के लिए कोई सहायता नहीं दी गई थी ; जांच के दौरान दिल्ली स्थानांतरण किया गया था, जिसके संबंध में वह श्रम न्यायालय गए थे और उनके कैथेड्रल श्रम न्यायालय द्वारा वैध पाया गया था और उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अतः 'श्री-शर्मा' के सम्राट का कोई महत्व नहीं है और यह पाया जा सकता है कि उनका सचिवालय केवल जांच के संचालन में कार्यकर्ता की मदद के लिए नहीं किया गया था। बल्की उनके आश्रय उनके सेवा रिकॉर्ड के आधार पर किया गया था और इस कारण से उनके सचिवालय के आदेश [5]को श्रम न्यायालय में भेज दिया गया था। द्वारा *शून्य नहीं* किया गया क्योंकि उनके शिलालेख में कोई दुर्भावना नहीं पाई गई थी।

(12) स्टाफ को कंपनी द्वारा जांच में बिस केस का बचाव करने के लिए श्री-शर्मा की सेवाओं को संलग्न करने के लिए समतापूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। के. शर्मा से संबंधित समय कंपनी के सामग्री प्रबंधक के पी. ए. के रूप में स्थापित किया गया था और उक्त प्रबंधक श्री शर्मा की सेवाओं में भाग लेने के लिए तैयारी नहीं की गई थी, लेकिन पूछताछ अधिकारी ने कार्यालय के घंटों के बाद या दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे तक भोजन के समय पूछताछ की। का साहसिक निर्णय इसलिए लिया गया कि कर्मचारी श्री आर. के. शर्मा की सेवाओं का लाभ उठाव सुविधा।

(13) चारों ओर, जैसा कि विद्वत न्यायाधिकार द्वारा अभिहित किया गया है, हमने पाया कि घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया और सिद्धांतों के अनुसार आयोजित की गई थी और विद्वत न्यायाधिकार को किसी भी अवैध या अनुचितता से प्रभावित होने का आदेश दिया गया था ऐसा नहीं है। इसलिए यह रिट फाइल फेल हो गई है जो एक भरे हुए कर्मचारी से संबंधित मामले के लिए बिना किसी लागत के खारिज कर दी गई है। *वर्ष 1980-विकास* की *तारीख से पहले की भूमि उद्यमियों के लिए-क्या ऐसी अवधि है।*

कहा कि उस जमीन को किराए पर देने या वर्षों तक भुगतान करने का दावा नहीं

[5] *एससीके*

माननीय एच.एस. ब्ररिज एम.एल. *कौल, जे.जे.*

बत्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से पहले -*याचिकाकर्ता।*

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य-प्रतिवादी।

1994 *का सीडब्ल्यूपी नंबर* 5527

18 अक्टूबर, 1995

पंजाब की राजधानी (विकास •& विनियमन) अधिनियम, **1952-** *एस.एस.* . 1 ^ .8 — *चंडीगढ़: लीज होल्ड साइटें और भवन नियम,* **1973**— *Ris.* 1, 6 एवं 13- *भूमि किराये का भुगतान-सिनेमा स्थल का* **विकास**

किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि बिक्री अधिकारी द्वारा किसी भी मांग के बिना नियत तिथि पर बीएसएल डीलर को 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी, जैसा कि कंपनी ने किया था 'जुर्माने की राशि भी अधिनियम की धारा 8 के तहत भूमि राजस्व के रूप में अवैध थी।

(पैरा 12.13)

उपज की ओर *से सप्ताहांत अरुण जैन ने कहा।*

प्रतिद्वंदियों की ओर से कट्टरवादी राजेश बिंदल के *साथ वरिष्ठ कट्टरपंथियों अशोक अग्रवाल।*

न्याय

हरफुल सिंह बराड़ा, जे.

(1) इस मामले में प्रस्ताव की सूचना 3 मई, 1994 को हिंदुत्व के विद्वान वकील के तर्क के आधार पर मुख्य रूप से इस आधार को जारी किया गया था कि क्रांतिकारी विचारधारा के साथ-साथ सिद्धांत पर भी रुचि ले रहे थे। पीठ द्वारा मुख्य रूप से इस बिंदु पर प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी क्योंकि संपदा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और बाद में अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकरण ने विभाग के रिकॉर्ड को देखने के बाद और जिज्ञासाओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि स्थल के स्थानान्तरण के लिए निर्धारित समयावधि में आवश्यक सामग्री प्रदान की गई थी और किराए का भुगतान न करने के कारण 100 प्रतिशत की कमी थी और स्थल के स्थानान्तरण के समय की आपूर्ति स्वतंत्र थी।

(2) अब बहस के समय, नोबेल के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा साइट को जुलाई, 1980 के पहले सप्ताह में विकसित किया गया था और 19 दिसंबर को वेबसाइट अधिकारी द्वारा साइट को फिर से ऑर्डर करने का आदेश दिया गया था। 1979 24 दिसंबर, 1981 को मुख्य उद्देश्य द्वारा भुगतान किया गया था, बाद में, चंडीगढ़ प्रशासन ने कम से कम 1977 से 1980 तक भूमि पट्टे पर नहीं दी थी, हालांकि अंततः, विद्वान वकील ने अपनी इस तर्क को मुख्य जोर दिया कि कानून के तहत मुख्य रूप से 100 प्रतिशत जुर्माना अवैध है और एक उच्च पक्ष पर विवाद है। विद्वान वकील जो प्रतिवादीगण पर आरोप लगा रहे थे

(3) इंटरेस्ट और इंटरैक्टिव पर इंटरेस्ट, जिसके आधार पर पृष्णि द्वारा प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी, बहस के समय विद्वान वकील द्वारा भी नियुक्ति नहीं की गई है।

°आर. डी. आर. एफ. रियल एस्टेट अधिकारी दिनांक 22 सितंबर, जो कि 100 प्रतिशत जुर्माना निर्धारित किया गया था, न तो फाइल के साथ संलग्न है और न ही इसे रद्द करने के लिए कोई मनाही की गई है। केवल 5 मई, 1993 का मुख्य उद्देश्य का अपीलीय आदेश और 16 जून, 1993 में 'प्रशासक के सलाहकार' के लिए 'प्रशासक के सलाहकार' के लिए जियोवा की पुनरीक्षण याचिका के आदेश को खारिज कर दिया गया था। केंद्र पूर्वी प्रदेश चंडीगढ़ को भर्ती के लिए अनिवार्य रूप से पी-8 और पी-9 अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है और केवल इन डिफॉल्ट को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

(4) मान्य तथ्य। बत्रा बिल्डिंग सेक्टर 17-डी के प्रबंध निदेशक श्री नरेश बत्रा के माध्यम से बत्रा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। चंडीगढ़ (इसका नाम पेट्रोलियम के नाम पर रखा गया है) ने 9 दिसंबर, 1976 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के संपदा अधिकारी से सिनेमा साइट संख्या 37, चंडीगढ़ में एक खुली नीलामी का आयोजन किया। एबंटन पत्र में 27 लाख रुपये पर निर्धारित भवन और दुकानें शामिल हैं, जिसमें सट्टा अधिकारी शामिल हैं। लीज को चंडीगढ़ लीज होल्ड साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, 1973 (इसके बाद 'बिल्डिंग रूल्स' कहा जाता है) 6 जनवरी, 1977 को डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज संख्या 197-3150-यू-सीएल-एल में सन्निहित परिसंपत्ति का पालन-पोषण विफल हो गया और स्नातक अधिकारी के स्वामित्व में शामिल हो गया क्योंकि रुपये की राशि का भुगतान विफल हो रहा है। वर्ष 1977-1991 के विरुद्ध 2,02,500 की भूमि किराये पर ली गई। इसके बाद संपदा अधिकारी ने बिल्डर्स भवन के नियम 13 (iii) के तहत कार्रवाई की। 15 अगस्त, 1992 से लेकर 15 अगस्त, 1992 तक जमीन का बिजनेस जमा करने के लिए कहा गया था और 9 जुलाई को डेली ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस में सार्वजनिक विज्ञापन भी प्रकाशित किए गए थे। 1992, 5 अगस्त 1992 और 20 अगस्त, 1992, जिसमें यह शामिल था। विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रशासन नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद भूमि किराए की देय राशि पर 100 प्रतिशत तक की बकाया राशि के लिए कार्यवाही शुरू की गई। 25 अगस्त, 1992 को व्यक्तिगत रूप से नौकरी का अवसर भी दिया गया था। -15 जुलाई की अधिसूचना के माध्यम से।1992.25 अगस्त, 1992 को श्री एल. के. वाट्स प्रोडक्ट्स की ओर से बिक्री अधिकारी के समक्ष पेश किया गया और स्टैगन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और अंततः मामले की सुनवाई की गई और 22 सितंबर, 1992 को निर्णय लिया गया।

(5) दिनांक 22 सितंबर, 1992 को 100 प्रति यूनिट एफयू की स्थापना की गई ? आर. एफ. ई. किस राशि वालों ने उनके खिलाफ़ भुगतान नहीं किया?^ नियमों के तहत उनकी याचिका जारी की गई थी

वी. सी. डिगराह लीज होल्ड ऑफ साइट्स एंड बिल्डिंग रूल्स, अधिनियम [7] वां आर. ई. 6सी. आयन और भूमि के अलावा पट्टे की राशि को 100 प्रतिशत पर बकाया कर दिया गया। अधिनियम की धारा 8 के तहत भूमि के तहत पट्टे पर दी गई राशि को राजस्व के रूप में वसूल करने का आदेश दिया गया था।

(6) 22 सितंबर, 1992 को मुख्य सभापति, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के समसामयिक बिक्री अधिकारी के खिलाफ यह मामला पहली बार 24 नवंबर, 1992 को मुख्य सभापति के आवेदन के लिए आया था। अधिकारी के आदेश के अनुसार, 5 मई, 1993 को, आपके आदेश के *अनुसार, 5 मई, 1993 को, आपके आदेश के अनुसार,* मुख्य निदेशालय ने विभाग के रिकॉर्ड को देखने और सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। बाद में सुनवाई के बाद, किराने की अपील को खारिज कर दिया गया और भूमि को किराए पर

[6]नियम 6. पट्टे की शुरूआत और अवधि.-पट्टा आवंटन या नीलामी की तारीख से शुरू होगा, जैसा कि

लेने के लिए देय राशि पर 100 प्रतिशत शेष राशि पर कब्जा कर लिया गया।

(7) इसके बाद रेजोल्यूशन के सलाहकार, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (पंजाब की राजधानी (विकास और जनसंख्या) अधिनियम, 1952 और उसके तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बनाया गया) के समेकन में एक पुनरीक्षण पोर्टफोलियो की स्थापना की गई। सलाहकार ने 16 *सितंबर,* 1993 को अपने आदेश के अनुसार पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और पाया कि जुर्माना लगाया गया था। इसे एक तथ्य के रूप में आगे पढ़ें सलहकार ने आगे कहा कि किराए का भुगतान न करने के कारण उनकी जगह के स्थान के स्थान पर स्थान के स्थान पर समय की आपूर्ति की गई।

(8) मामला 99 वर्ष की अवधि के लिए हो सकता है और हो सकता है।

नियम 13.किराया और भुगतान न करने के परिणाम।

(i) वार्षिक वार्षिक विज्ञप्ति में 33 वर्षों के लिए प्रीमियम का 2-1/2 प्रतिशत तक का मूल्यांकन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अगले 33 वर्षों के लिए प्रीमियम का 3-3/4 प्रतिशत और शेष अवधि के लिए प्रीमियम का 5 प्रतिशत तक किया जा सकता है।

(ii) किसी भी निवेशक से किसी भी व्यक्ति की मांग के साथ नियत तिथि को निवेशक निवेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है

संपत्ति की संपत्ति के अधिकारी अच्छे और योग्य व्यक्ति से नियत तिथि से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के आगे के भुगतान पर कुल किराए के भुगतान के लिए समय छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

(iii) यदि नियत तिथि तक किसी मालिक का भुगतान नहीं किया गया है, तो उस राशि के 100 प्रतिशत से अधिक के रिलायंस का भुगतान करने के लिए सुपरस्टार का लक्ष्य होगा जो 1973 के अधिनियम संख्या 14 द्वारा पंजाब की राजधानी (विकास और जनसंख्या) अधिनियम, 1952 की धारा 8 में निर्धारित तरीके से उपयोग और वसूली की जा सकती है।

(8) पंजाब की राजधानी (विकास और धार्मिकता) अधिनियम की धारा 1 और 8। 1952 का पाठ इस प्रकार है:—

"1. आदर्श शीर्षक, विस्तार और आरंभ।—

(1) इस अधिनियम को पंजाब की राजधानी (विकास और जनसंख्या) अधिनियम, 1952 कहा जा सकता है।

यह चंडीगढ़ शहर तक फैला हुआ है जो पंजाब की राजधानी के क्षेत्रों के बारे में पहले जानकारी देता है।

1966 और ऐसे स्थानों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा

अधिसूचित किया जा सकता है।

(3) यह तत्काल लागू होगा।

*इम्पोस्टन।1 दया और मूड "<पुनर्प्राप्ति द टाइम/टी

(1) जहां स्थानांतरणकर्ता किसी भी निर्दिष्ट के संबंध में कोई "" "" या कोई किरायेदार व्यापारी देता है।

धारा 3 के अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, भवन या दोनों, या जहां कोई स्थानांतरणकर्ता या अधिभोगकर्ता धारा 7 के तहत कोई शुल्क या कर भुगतान में कोई त्रुटि हो, संपत्ति अधिकारी निर्देश दे सकते हैं कि मित्र राशि के बाहर , उस राशि से अधिक की राशि स्थानांतरणकर्ता या अधिभोगकर्ता से, जैसा भी मामला हो, सिद्धांत के रूप में वसूली की जाएगीः

ऐसा कोई निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इससे प्रभावित व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।मामले में श्रवण का अवसर दिया जाए।

(2) जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि के भुगतान में कोई गलती करता है, जो दलाल और दंड के रूप में निर्देशित होता है। वसूली की राशि भूमि राजस्व का दस्तावेज़ की तरह हो सकती है।"

(9) विद्वान वकील का यह तर्क है कि 'चंडीगढ़' प्रशासन वर्ष 1977 से 1980 के लिए भूमि किराये का हकदार नहीं था क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन ने जुलाई, 1980 के पहले सप्ताह में सिनेमा स्थल विकसित किया था और 19 दिसंबर, 1979 को संपदा अधिकारी द्वारा भूमि स्थल को फिर से शुरू करने के आदेश को 24 दिसंबर, 1989 को मुख्य प्रशासक द्वारा रद्द कर दिया गया था, बिना किसी बल के।

(10) इस लिखित बयान में कहा गया है कि बिना किसी खंडन के कहा गया है कि सिनेमा स्थल पर कब्ज़ा वर्ष 1979 से आज तक के शो के पास है, जिसमें 19 दिसंबर, 1979 से 24 दिसंबर से फिर शुरू होने तक की अवधि भी शामिल है। '1981 में हुआ था। यह एक तथ्य है कि 10 जुलाई, 1980 से पहले सिनेमा भवन का निर्माण पूरा किया गया था, जब उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, यू.एस. से लाइसेंस मिला था। टी. चंडीगढ़ को सिनेमा बनाने के लिए और फिर से यह है।

(11) ए.तर्क के समय, हमने विद्वान से पूछा था; सलाह के लिए. से शुरू किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि सिनेमा स्थल को फिर से शुरू किया गया था। अधिकारी, वीडियो। 19 दिसंबर, 1979 का आदेश और पुनः आरंभ करने का आदेश दिया गया था 24 दिसंबर 1981 को संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसे रद्द कर दिया गया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सिनेमा भवन का निर्माण बिना नहीं किया जा सकता।

^ चंडीगढ़ प्रशासन ने बिक्री को -

एक है।याचिकाकर्ता का यह रूझान कि साइट जुलाई 1980 में प्रथम श्रेणी के आधार पर विकसित की गई थी, इस [7]तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि 10 जुलाई, 1980 से सिनेमा शुरू हुआ और उस

[7]आराम; हालाँकि नियमों के अनुसार, उन्हें वर्ष 1977 में साइट पर कब्ज़ा मिलने की तारीख से एक वर्ष के भीतर इमारत को पूरा करना आवश्यक था। वह फिर से जिला मजिस्ट्रेट, यूटी चंडीगढ़ से सिनेमा चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रहे। उसे चलाना शुरू किया और साइट के दोबारा चालू होने पर भी उससे सभी लाभ प्राप्त किए। इन सबके बावजूद, याचिकाकर्ता को यह कहने का मौका मिला कि 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है

ऑपरेशन के दौरान लाभ कमाना शुरू हुआ। दिया।

(12) इस प्रकार कहा गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन को अपने वर्ष 1977 से 1980 तक भूमि किरायेदारों के लिए नहीं लेनी चाहिए। भवन भवन के नियम 13 के तहत किराए पर ली गई भूमि का भुगतान करने के लिए कर्तव्य था। नियम 13 के उप- नियम (ii) में कहा गया है कि लीजधारक द्वारा बिक्री अधिकारी से किसी भी मांग के बिना नियत तिथि को लार्नी देय होगी।

(13) चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील ने कहा कि भंडार अधिकारी द्वारा प्रशासन को पूरी तरह से उत्पाद के अनुरूप नहीं करने पर 100 प्रतिशत का जुर्माना लगाया गया है। छोटी बचत राशि में जमा राशि पर भी कम से कम 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा और 100 प्रतिशत प्रति शेयर शेष राशि द्वारा उपयोग किया गया राशि पर प्रतिशत ब्याज भी नहीं है। चंडीगढ़ प्रशासन के विद्वान वकील के, निवेशक अधिकारी ने कहा परियोजना के तहत 100% राजस्व और भूमि राजस्व के रूप में अधिनियम की धारा 8 के तहत इसके आगे की मंजूरी को पूरी तरह से शामिल किया गया है।

रियल एस्टेट अधिकारी और फर्म अभी भी चंडीगढ़ प्रशासन को उसके कारण वर्ष 1977-81 के लिए जमीन का किराया भुगतान नहीं करने की सलाह देते हैं, रियल एस्टेट का यह अधिग्रहण और उसके कारण जमीन का भुगतान नहीं करने की उसकी ढिलाई वाली रणनीति रियल एस्टेट अधिकारी द्वारा 10 क्यू प्रतिशत शेष राशि और अधिनियम की धारा 8 के तहत राजस्व के अंतर्गत भूमि के स्वामित्व को वैध बनाया गया है।

(15)ऊपर की हमारी चर्चा पर ध्यान दिया गया, इस पोस्ट की कीमत के साथ खारिज कर दिया गया है जिसे हम रु. 5.000.

(16) हम यह देखने से खुद को रोक नहीं सकते हैं कि ग्रीटिंग ने चंडीगढ़ प्रशासन की वैध और वैधानिक धारणाओं का उल्लंघन किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उस समय के अधिकारियों के साथ प्रभाव डाला और उनकी मदद से, बहुत आसानी से प्रशासन को उनके द्वारा डेट किया गया। याचिकाकार्ता ने बहुत आसानी से अपने आराम से सिनेमा भवन का निर्माण किया और भवन को पूरा करने में लगभग 3 साल लग गए, जबकि स्थापना के अधीन, उन्हें अपने सिनेमा स्थल पर कब्ज़ा करने में एक साल का समय लगा। एक बार फिर, उन्होंने 10 जुलाई, 1980 को सिनेमा का लाइसेंस बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया और यहां तक कि प्रशासन के अधिकारियों की मदद से इसे चलाना शुरू कर दिया, तब भी जब सिनेमा का लाइसेंस मिला। स्थल 24 दिसम्बर, 1981 तक फिर से शुरू हो रहा था और इससे उन्हें सभी लाभ मिले।

(17) हम आशा करते हैं कि अधिकारी भविष्य में ऐसे मामलों और सक्रिय कार्रवाई के लिए सावधान रहें ताकि आम आदमी का कार्यपालिका में विश्वास बहाल हो और समाज का पैसा लूटे जा सके।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी